



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264670
CG-DL-E-15072025-264670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|----------|--|
| सं. 496] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ 19, 1947 |
| No. 496] | NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947 |

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 जुलाई, 2025.

सं. 5506/बीईई/एस एंड एल/एलसी/2025-26.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) और (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग अनुपालन) विनियम, 2025 बनाने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित मसौदा विनियम एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और उनके सुझाव और आपत्तियां (यदि कोई हो) आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को डाक द्वारा तथा ईमेल helpdesk@beeindia.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

मसौदा विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग अनुपालन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) से है;
- (ख) "राज्य नामित एजेंसी (एजेंसियों)" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 के खंड (घ) के अंतर्गत नामित किसी एजेंसी से है;
- (ग) "लेबल" से तात्पर्य किसी मुद्रित सामग्री से है, जिस पर एक विशिष्ट संख्या अंकित होती है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल विवरण) विनियम, 2025 में निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर पर चिपकाया या प्रदर्शित किया जाता है;
- (घ) "परमिटधारक" से तात्पर्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार उपकरण अथवा उपस्कर पर लेबल लगाने के लिए अधिकृत व्यक्ति से है;
- (ङ) "व्यक्ति" से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संघ या व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी और कंपनी से है, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो;

(2) इसमें प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किये गये, किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के तात्पर्य क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. उद्देश्य. - इन विनियमों का उद्देश्य उपकरणों अथवा उपस्करों पर चिपकाए गए लेबलों की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना है। ये विनियम आगे गैर-अनुपालन पर ध्यान देने की प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हैं और इस प्रकार उपभोक्ता हितों की रक्षा होती है।

4. प्रयोज्यता.- ये विनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी उपकरणों अथवा उपस्करों पर लागू होंगे।

5. ब्यूरो द्वारा अनुपालन का सत्यापन.- ब्यूरो अथवा राज्य नामित एजेंसियां, यथाआवश्यक अंतराल पर सत्यापन करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उपकरण अथवा उपस्कर निम्नलिखित में से किसी रीति से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025 और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल विवरण) विनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करता है:

- क) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत निर्धारित लेबल सत्यापन;
- ख) इन विनियमों के विनियम 6 के अंतर्गत यथानिर्धारित जाँच परीक्षण;
- ग) अनुपालन को सत्यापित करने के लिए ब्यूरो द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली कोई अन्य उचित पद्धति।

6. लेबल सत्यापन- (1) ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसियां किसी उपकरण अथवा उपस्कर पर चिपकाए गए लेबल पर प्रदर्शित विवरण का सत्यापन बाजार निगरानी या ऐसी अन्य समान गतिविधियों का संचालन कर करेंगी।

(2) यदि किसी उपकरण अथवा उपस्कर पर कोई लेबल नहीं लगा है या लेबल सत्यापन में असफल रहता है, तो ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी संबंधित परमिटधारक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसमें उसे चिन्हित गैर-अनुपालन के बारे में सूचित किया जाएगा और कारण बताओ नोटिस जारी करने के तीस (30) दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(3) यदि परमिटधारक निर्धारित समय सीमा के भीतर ब्यूरो को संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो ब्यूरो उक्त परमिटधारक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

- (i) लेबल सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा;
- (ii) उपकरण श्रेणी के मॉडल पंजीकरण को एक (1) वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और निलंबन विवरण ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा; तथा
- (iii) ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी।

7. जाँच परीक्षण- (1) ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी, समय-समय पर, स्वतः संज्ञान लेते हुए, या शिकायत प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच परीक्षण करेगी कि सभी या कोई एक उपकरण अथवा उपस्कर, अधिनियम की धारा 14 (क) के अधीन ब्यूरो द्वारा निर्धारित ऊर्जा निष्पादन मानक और मानदंडों के अनुरूप है।

(2) स्वतः संज्ञान लेते हुए सत्यापन के लिए, ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी, जैसा उचित समझे, विनिर्माण सुविधाओं, खुले बाजार, ऑनलाइन प्लेटफार्मों या किसी अन्य आवश्यक माध्यम से उपकरण का नमूना प्राप्त कर सकती है।

(3) ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी, जांच परीक्षण के साक्ष्य के लिए परमिटधारक को निर्धारित तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व सूचित करेगी।

परंतु यदि परमिटधारक अधिसूचित जांच परीक्षण के साक्ष्य देने में असफल रहता है, तो परीक्षण के परिणाम वैध और बाध्यकारी माने जाएंगे तथा तदनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(4) ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी ऐसे प्रयोजन के लिए चिन्हित प्रयोगशालाओं में किए गए जांच परीक्षणों के माध्यम से या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चिन्हित उपकरणों अथवा उपस्करों के परीक्षण के ऊर्जा प्रदर्शन परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करके और उन पर भरोसा करके मॉडलों के ऊर्जा प्रदर्शन को सत्यापित कर सकती है।

(5) असफल जांच परीक्षण की स्थिति में, ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी परमिटधारक को परिणाम की सूचना देगी, जो प्राप्ति के पंद्रह (15) दिन के भीतर उसी प्रयोगशाला में उसी नमूने की पुनः जांच कराने का अनुरोध कर सकता है, जिसमें परमिटधारक को ब्यूरो की ओर से पुनः जांच के साक्ष्यांकन की सूचना दी जाएगी। परंतु परमिटधारक के अनुरोध पर किया गया कोई भी पुनः परीक्षण पूरी तरह से परमिटधारक की लागत और व्यय पर होगा।

(6) उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त किसी शिकायत पर आरंभ किए गए जांच परीक्षण के लिए, शिकायतकर्ता परीक्षण से संबंधित समस्त लागत और व्यय, ब्यूरो द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर, ब्यूरो के पास जमा करेगा और यदि जांच परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना विफल हो जाता है, तो परमिटधारक द्वारा ब्यूरो को समस्त लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को पूर्वोक्त व्यय वापस लौटाएगा; और जहां नमूना जांच परीक्षण में सफल हो जाता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया व्यय जब्त हो जाएगा।

8. जाँच परीक्षण या पुनः परीक्षण में विफलता- (1) यदि उपकरण अथवा उपस्कर, उपर्युक्त विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार किए गए जांच परीक्षण या पुनः परीक्षण, जैसा भी मामला हो, में विफल हो जाता है, तो ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी:

(क) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए जांच परीक्षण या पुनः परीक्षण, जैसा भी मामला हो, की विफलता की सूचना देने की तिथि से **दो (2) माह** के भीतर, अपनी वेबसाइट पर, किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया या ऐसी किसी अन्य रीति, जैसा उचित समझे, से विवरण प्रकाशित करे जिसमें परमिटधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश शामिल हों किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हों। ब्यूरो ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने की लागत परमिटधारक से वसूल करेगा।

(ख) जांच परीक्षण या पुनः परीक्षण, जैसा भी मामला हो, की विफलता की सूचना की तिथि से **दो (2) माह** के भीतर, सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचित करते हुए, परमिटधारक को निदेशित करे कि वह-

- (i) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले ले;
- (ii) सभी विज्ञापन सामग्रियों पर प्रदर्शित विवरण बदल दे;
- (iii) उपकरण के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करे; और
- (iv) संबंधित उपकरण के मौजूदा और नए स्टॉक से जांच परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करे।

इसके अलावा, परमिटधारक, उपर्युक्त सूचना जारी करने की तिथि से **दो (2) माह** की अवधि के समापन के दस (10) दिन के भीतर, ब्यूरो को निर्धारित प्रारूप में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) यदि परमिटधारक उपर्युक्त उप-विनियम 7(1) के अंतर्गत जारी निदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो, सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचित करते हुए,-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025 के अंतर्गत परमिटधारक को प्रदान की गई लेबल को चिपकाने की अनुमति को पहली बार गैर-अनुपालन के मामले में **तीन (3) माह** के लिए और बाद के मामलों के लिए **छः (6) माह** के लिए वापस ले लेगा;
- (ख) संबंधित राज्य नामित एजेंसी को परमिटधारक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आगे की न्याय निर्णय कार्यवाही आरंभ करने के लिए सूचित करेगा।
- (3) किसी उपकरण अथवा उपस्कर के संबंध में ब्यूरो और/या राज्य नामित एजेंसी द्वारा पता लगाए गए किसी अन्य गैर-अनुपालन के लिए, जिसमें उपकरणों अथवा उपस्करों पर नकली लेबल चिपकाना या ऐसे उपकरण अथवा उपस्कर बेचना, वास्तविक लेबलों को बदल कर अनधिकृत लेबल लगाना और ऐसे लेबल बनाना शामिल है, जो ब्यूरो द्वारा जारी किए गए वास्तविक लेबलों के डिजाइन, लेआउट या सामग्री की नकल होते हैं, किंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है, ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी अधिनियम के प्रावधानों, या भारत के अधिकार क्षेत्र में लागू किसी अन्य प्रासंगिक कानून, नियम, विनियम, या अधिसूचनाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

9. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम संबंधी प्रचालन मैनुअल- (1) ब्यूरो मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपनी वेबसाइट पर एक प्रचालन मैनुअल प्रकाशित करेगा। उक्त प्रचालन मैनुअल में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) ब्यूरो या राज्य नामित एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा बाजार निगरानी गतिविधि या किसी अन्य समान गतिविधि को शुरू करने की प्रक्रिया;
- (ख) जांच परीक्षण करने की प्रक्रिया; और
- (ग) आवश्यक प्रारूप
- (2) प्रचालन मैनुअल में उल्लिखित प्रक्रियाएं मानक और लेबलिंग कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी कंपनियों पर बाध्यकारी होंगी।

आकाश त्रिपाठी, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./229/2025-26]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 July, 2025.

No.5506/ BEE/S&L/LC/2025-26.—In exercise of the powers conferred by clause (i) and (l) of Sub-Section 2 of Section 58 read with clause (c) and (d) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, proposes to make the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Compliance) Regulations, 2025. The proposed draft Regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector-1, New Delhi-110066 through post and email at helpdesk@beeindia.gov.in

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

Draft Regulations

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Compliance) Regulations, 2025.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires: -

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
- (b) “State Designated Agency(ies)” means any agency(ies) designated under clause (d) of Section 15 of the Act;
- (c) “Label” means a printed matter, bearing a unique number, affixed to, or displayed on an appliance or equipment as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Label Particulars) Regulation, 2025.
- (d) “Permittee” means a person authorized to affix labels on appliance or equipment as per provisions of the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025;
- (e) “Person” means and includes any individual, association or body of persons, partnership firm, limited liability partnership and company, whether incorporated or not;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Objective.- The objective of these regulations is to establish a robust mechanism for ensuring the accuracy and authenticity of labels affixed to appliances or equipment. These regulations further provide for procedures for addressing non-compliance thereby safeguarding consumer interests.

4. Applicability.- These regulations shall be applicable to all appliances or equipment as specified under Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025.

5. Compliance Verification by Bureau.- The Bureau, or State Designated Agencies, shall undertake verification, at such intervals as may be deemed necessary, to ensure that any appliance or equipment, complies with the requirements as prescribed under the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025 and the Bureau of Energy Efficiency (Label Particulars) Regulation, 2025 through any of the following ways:

- (a) Label Verification as prescribed under Regulation 5 of these regulations;
- (b) Check Testing as prescribed under Regulation 6 of these regulations;
- (c) Any other reasonable methods deemed necessary by the Bureau to verify compliance.

6. Label Verification.- (1) The Bureau or State Designated Agencies shall undertake verification of the particulars displayed on the label affixed on any appliance or equipment by conducting Market Surveillance or such other similar activities.

(2) In the event that any appliance or equipment does not have any label affixed or fails Label Verification, the Bureau or State Designated Agency shall issue a show-cause notice to the concerned Permittee, informing him regarding the identified non-compliance and seeking an explanation in writing within **thirty (30) days** of issuance of the show-cause notice.

(3) In case the Permittee does not submit an explanation to the satisfaction of the Bureau, within the prescribed time limit, the Bureau shall undertake the following actions against the said Permittee:

- (iv) Forfeit the label security deposit;
- (v) Suspend the model registration from the appliance category for a period of one (1) year and display the suspension details on official website of Bureau; and
- (vi) The Bureau or State Designated Agency shall initiate action to impose penalty under section 26 of the Act.

7. Check Testing.- (1) The Bureau or State Designated Agency may either *suo motu* or on receipt of a complaint, as the case may be, carry out check testing to ensure that all or any appliance or equipment, conforms to the energy performance standards and norms as prescribed by the Bureau under Section 14 (a) of the Act, from time to time.

(2) For *suo moto* verification, the Bureau or State Designated Agency may procure a sample of the equipment from the manufacturing facilities, open market, online platforms or any other necessary means as it deems fit.

(3) The Bureau or State Designated Agency shall intimate the Permittee at least 07 days prior to the scheduled date to witness the check test.

Provided that if the Permittee fails to witness the notified check test, the test results shall be deemed to be valid and binding, and action shall be initiated accordingly.

(4) The Bureau or State Designated Agency may verify the energy performance of models through check testing conducted at identified laboratories for such purpose or by directly obtaining and relying upon the energy performance results of testing of identified appliances or equipment undertaken by the Bureau of Indian Standards.

(5) In the event of a failed check test, the Bureau or State Designated Agency shall intimate the results to the Permittee, who may, within fifteen (15) days of receipt, request a retest of the same sample, to be conducted in the same laboratory, with intimation from the Bureau to the Permittee to witness the retest. Provided that any such retest conducted at the request of the Permittee shall be at the sole cost and expense of the Permittee.

(6) For check testing initiated upon a complaint received under sub-regulation (1), the complainant shall deposit all cost and expenses relating to testing, with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under check testing fails, all cost and expenses, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the sample passes the check test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

8. Failure in Check Testing or Retest.-(1) If the appliance or equipment fails in the check test or retest, as the case may be, conducted as per provisions of Regulation 6 above, the Bureau or State Designated Agency shall:

- (a) publish within **two (2) months** from the date of intimation of failure of check test or the retest, as the case may be, for the benefit of the consumers, the details including but not limited to the name of the Permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications on its website, in any national daily newspaper, electronic/social media or any other manner as it deems fit. The Bureau shall recover the cost of publishing such advertisement from the Permittee.

Provided that in case the Permittee fails to deposit expenses towards the cost of publishing advertisement mentioned above, the Bureau shall suspend the Permittee's appliance category registration for a period of one (1) year.

- (b) direct the Permittee, under intimation to all State Designated Agencies, within **two (2) months** from the date of intimation of failure of the check test or the retest, as the case may be, to-
 - (i) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
 - (ii) change the particulars displayed on all advertising materials;
 - (iii) correct the star level displayed on the label of the equipment; and
 - (iv) remove the defects and deficiencies found during check testing from the existing and new stock of the concerned equipment.

Also, the Permittee, within **ten (10) days** of the conclusion of the period of **two (2) months** from the date of issuance of intimation as mentioned herein above, shall send an action taken report in the prescribed format to the Bureau.

- (2) In the event the Permittee fails to comply with the directions issued under Sub-Regulation 7(1) as mentioned herein above, the Bureau, under intimation to all State Designated Agencies, shall-
 - (a) withdraw the permission to affix the label granted to the Permittee under the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025, for **three (3) months** at first instance of non-compliance, and for **six (6) months** for subsequent instances;
 - (b) intimate concerned State Designated Agency to initiate further adjudication proceedings against the Permittee under Section 27 of the Act.
- (3) For any other non-compliances, including but not limited to affixing or selling appliances or equipment with counterfeit labels, altering genuine labels, replacing genuine labels with unauthorized labels and creating labels that mimic design, layout or content of genuine labels issued by the Bureau, detected by the Bureau and/or the State Designated Agency(ies) with respect to any appliance or equipment, the Bureau or State Designated Agency shall take necessary action in accordance with the provisions of the Act, or any other relevant laws, rules, regulation, or notifications applicable within the jurisdiction of India.

9. Operational Manual on Standards and Labelling Programme.- (1) The Bureau shall publish on its website an Operational Manual for the implementation of the Standards and Labelling Programme. The said Operational Manual shall, *inter-alia*, include the following:

- (a) Procedure for undertaking the Market Surveillance activity or any other similar activity by the Bureau or State Designated Agency(ies);
 - (b) Procedure for undertaking check testing; and
 - (c) Required formats.
- (2) The procedures outlined in the Operational Manual shall be binding on all participating entities in the Standard and Labelling Programme.

AKASH TRIPATHI, Director General
[ADVT.-III/4/Exty./229/2025-26]